HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13989/2020

Ravidutt S/o Sh. Kishanlal, Aged About 56 Years, R/o Village Khatiyad, Tehsil Fatehpur, Presently Residing At Hada Ps Fatehpur, Dist. Kangra (Himachal Pradesh). (Presently Lodged In Sub Jail, Suratgarh).

----Petitioner

Versus

State, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री एन.आर. बुढानिया।
For Respondent(s) : श्री सु,धीर टाक, लोक अभियोजक।

HON'BLE MR. JUSTICE DEVENDRA KACHHAWAHA

Order

09/12/2020

प्रार्थी की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना, जैतसर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 68/2019 अपराध अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी. भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं।

प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि, प्रार्थी को गलत रूप से फंसाया गया है, मुख्य आरोप गुरजीत सिंह एवं बलजीतसिंह के विरूद्ध लगाये गये हैं। एडवांस राशि बलजीत सिंह द्वारा लिया जाना बताया गया है जिसकी जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप बलजीत सिंह से अधिक गंभीर नहीं है। प्रार्थी पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाये है। प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी–अभियुक्त को भी सौदे के समय साथ बताया गया है और प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध भी आक्षेप लगाये हैं। अतः प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सहअभियुक्त बलजीत सिंह की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के आदेश दिनांक 16.10.2020 से स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप सहअभियुक्त बलजीत सिंह पर लगाये गये आरोप से गंभीर नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण के समस्त तथ्यात्मक स्थिति, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रविदत्त पुत्र किशनचंद, विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(DEVENDRA KACHHAWAHA),J

37-AK/-